20 Rs. TWENTY RUPEES

201

R. 1076-I/09

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियार

श्री अनील पिता श्री मनोहरलालजी कटारिया, आयु 39 वर्ष,
निवासी 44 घांस बाजार, रतलाम ———— प्रार्थी

विरूद्ध

1.म.प्र.शासन द्वारा उप पंजीयक, रतलाम
2.म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प एवं जिला पंजीयक रतलाम
3.श्री बुधरजी तारांचन्द्रजी एच.यू.एफ.के कर्ता
श्री सुजानमल पिता श्री इन्दरमलजी पोरवाल
निवासी 55 चांदनीचौक, रतलाम ———— प्रतिप्रार्थी

–निगरानी अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम–
–निगरानी बनाराजगी आदेश दिनांक 10.06.2009 जो प्रकरण कमांक 6/बी–103/धारा 33/
–2006–2007 में न्यायालय श्रीमान् जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प महोदय, रतलाम
–द्वारा पारित किया हैं, से असंतुष्ट होकर–

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी यह निगरानी आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प महोदय रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 6/बी–103/धारा 33/2006–2007 में दिनांक 10.06.2009 को जो आदेश कमी स्टॉम्प ड्युटी व अर्थदण्ड़ जमा कराने के संबंध में पारित किया हैं, उससे असंतुष्ट होकर अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हैं –

प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने रजिस्टर्ड दस्तावेज कमांक 2846, दिनांक 05.02.2007 द्वारा नगर रतलाम मोहल्ला धनजीभाई का नोहरा स्थित मकान रूप्ये 41,00,000/– में कय किया था, जो दस्तावेज उप पंजीयक द्वारा पंजीयन कर प्राथी को लौटाया गया था परन्तु उक्त दस्तावेज में मानचित्रकार की त्रुटि के कारण तलघर वाला हिस्सा बताने से रह गया था इस हेतु प्रार्थी ने उक्त दस्तावेज में एक संशोधन पत्र तैयार कर उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उप पंजीयक द्वारा अवरूद्ध कर अपने प्रतिवेदन कमांक 448 दिनांक 23.02.2007 से संशोधन का दस्तावेज न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प एवं जिला पंजीयक महोदय के समक्ष स्वरूप निर्धारण हेतु भिजवाया, जिसमें माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूल दस्तावेज को ही न्यून मूल्यांकित मानते हुवे कमी मुद्रांक शुल्क व अर्थ दण्ड़ जमा कराने का आदेश पारित कर दिया, इससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी आवेदन पत्र अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैं–

1. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 10.06.2009 त्रुटिपूर्ण होकर विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(201) (159)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/1076/एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 22/02/2013 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	